कार्यालयः गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

(मानचित्र स्वीकृति पत्र)

पत्रावर्थक्ष , मानचित्र राज्य १० विएमएवाई जीडीए / एम.पीज / 2018

मै. आराध्यम बिल्डर्स

मै, मोंगे राम भट्टा एण्ड कम्पनी, खरारा नं. 988 एवं 989, एन..एच. 58

आपके प्रार्थना पत्र के संदर्भ में खरारा सं. 332, 337, 338, 339, 291मि., 290मि. एवं 294मि. ग्राम पराौन्डा, गाजियाबाद पर परतावित प्रधानमत्री आवास योजना (पी॰एम॰ए॰वाई॰) के अन्तर्गत "आराध्यम" के नाम से ग्रुप हाउसिंग मानचित्र सं॰─09/PMAY मेरत रोड, माजियाबाद। GDA/M.P. / 2018 पर उपाध्यक्ष महोदया द्वारा दिनोंक 28.05.2021 को निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की गयी है:-

मानचित्रों की इस स्वीकृत सम्बन्धित किसी भी शासकीय विभाग स्थानीय निकाय (जैसे-नगर पालिका, जी॰डी॰ए॰) किसी

अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है।

मवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है, उसी प्रयोग में लाया जायेगा।

यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई व्यय माँगा जायेगा तो वह बिना किसी आपत्ति के देय होगा। जो भूमि विकास कार्य के उपयुक्त नहीं होंगी उसे शासन अथवा किसी स्थानीय निकाय/प्राधिकरण की विकास करने की

कोई जिम्मेदारी नहीं है।

दरवाजे व खिडकियाँ इस तरह से लगाये जायेंगे कि सार्वजनिक सडक की ओर न खुले।

राउक रार्विस लेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (विल्डिंग मैटीरियल) नहीं रखी जायेगी तथा गंदे पानी की

रवीकृत मानचित्रों का एक सैट स्थल पर रखना होगा ताकि मौके पर कभी भी जाँच की जा सकें तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों स्पेशीफिकेशन नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भवन के स्वामित्व की भी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी।

यह मानचित्र उ.प्र. नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15 के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त के साथ रवीकार किये जाते हैं तो वह शर्त भी मान्य होगी।

10. संडक पर अथवा लेन में निर्धारित से अधिक कोई रेम्प नहीं बनाये जायेंगे। यह कार्य अपनी ही भूमि पर करेंगे।

11. सुपरविजन एवं स्पेशीफिकेशन की नियम/शर्तों का पालन करना होगा।

12. पक्ष द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा।

13. पर्यावरण की दृष्टि से उ॰प्र॰ राज्य व नीति अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम प्रत्येक हेक्टेयर 50 पेड लगाना अनिवार्य

14 रवीकृत मानचित्र इसके साथ संलग्न है भवन कार्य समाप्त होने के एक माह के अन्दर निर्धारित प्रारूप में सम्पूर्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र देना होगा। भवन में उपयोग से पूर्व सम्पूर्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा एवं सम्पूर्ति प्रमाण-पत्र से पूर्व रेन वाटर हार्वेरिटंग एवं समस्त विकास कार्य पूर्ण करानें होंगे तथा विना आज्ञा व प्रमाण-पत्र लिये भवन को प्रयोग में न लायेगें।

15. 300 वर्गमी. या उससे अधिक क्षेत्रफल के नवनिर्मित होने वाले समस्त प्रकृति के भवनों में रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की

व्यवस्था करना अनिवार्य है।

16. 12.00 मी. से अधिक ऊँचे समस्त प्रकृति के भवन तथा समस्त अवस्थापना सुविधाओं से सम्बन्धित भवनों में नियमानुसार भूकम्परोधी व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

17. संरचना सुरक्षा का उत्तरदायित्व रचयं आपका होगा तथा आप द्वारा संरचरना सुरक्षा एवं भूकम्परोधी शासनादेशों का

अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

18. निर्धारित मी. सडक में विस्तार हेतु स्थल पर रोड के भाग को छोडते हुए निर्माण/विकास कार्य किया जायेगा। बाउण्डी वाल का निर्माण रोड वाइडेनिंग की भूमि के बाद किया जायेगा।

19. भू-स्वामित्व की समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। किसी वाद / विवाद की स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा तथा तहसील एवं नगर निगम की संयुक्त टीम द्वारा भूमि चिन्हित कराकर ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

20 उक्त क्षेत्र में 75 प्रतिशत बाहय विकास शुल्क जमा होने के उपरान्त ही प्राधिकरण द्वारा विकास कार्य करायें जायेंगे।

21 नाली, वकरोड, ग्राम समाज व निगम/सरकारी भूमि पर कोई निर्माण कार्य/विकास कार्य नहीं किया जायेगा।

22 भ-गर्भ जल का उपयोग किये जाने से पूर्व सम्बन्धित विभाग की अनापत्ति प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

23. अधिष्ठान एवं उसमें कार्यरत श्रमिकों का श्रम विभाग में नियमानुसार पंजीयन कराया जाना आवश्यक है।

24 निर्माणाधीन अवधि में निर्माण स्थल पर धूल से बचने हेतु समुचित कवर का प्राविधान किया जाये, निर्माण सामग्री के परिवालन एवं उनके उपयोग की अवधि में निर्माण सामग्रियों पर पानी का छिरकाव किया जाय एवं उस्ट सस्पेशन यूनिट का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाये। इसके साथ साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि निर्माण सामग्रियों को ले जाने हेतु ढके हुए वाहनों का प्रयोग किया जाये।

25. नियमानुसार RERA में रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

26. अतिरिक्त शर्ते स्वीकृति पत्र के साथ संलग्न हैं एवं मानचित्र के पुष्ट भाग पर चस्पा है, जिनका अनुपालन अनिवार्य रूप से सनिश्चित करना होगा।

संलग्नक : 1. एक सैट स्वीकृत मानचित्र।

गाःवि प्राः गाजियाबाद

दिनाँक 31 18 22

/ मा प्लान /

दिनॉक /

ारे 🖭 पतान साड को त्यीकृत मानचित्र सहित सुचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

.तेरिक्त शर्व

आवेदक हास प्रस्तृत समस्त श्रमण पत्रों में तिल्लिखित समस्त शर्तों का अनुपालन अनिवार्ग रूप से करना होगा।

अस्ति विभागो होरा विभेत अनापत्ति धत्रों में चल्लेखित थर्ती का अनुपालन स्निष्धित करना होगा।

उ । इन्टरन एक्टम्बेर्स की अनामित पान होने के वपसन्त ही विकासकर्ता द्वारा निर्माण कार्य किया जाएगा।

उ हिन्दान एक्स्प्रेस का अनामाता पान का के एक्स के एक्स में क्यांक / मिस्वी रखी मंत्री भूमि पर विकास एवं निर्माण कर सकेमा पन्तु उनका

हरतान्तरण तक तक नहीं कर सकेगा, जब तक कि ईडब्लूएस आवासीय इकाईयों का निर्माण पूर्ण नहीं कर दिया जाता है। इस्तान्तरण तब तक नहीं कर सकेगा, जब तक कि ईडब्लूएस आवासीय इकाईयों का निर्माण पूर्ण नहीं कर दिया जाता है। इंडब्र्स्स मवन का निर्माण न किये जाने की स्थिति में बनाक रखी गयी भूमि व उस पर निर्मित सम्पर्ति हो जब्त कर

विभा जाएगा। ह विकासकती होरा सक्षम अधिकारी होरा निर्मत योजना के अन्तर्गत निर्मित इन्डब्लू-एसन भवनों का पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करणाराकता हारा राह्मम् आध्यकारा प्राप्त मिनत । उन्हें शासकीय अभिकरण द्वारा विनिहत लाभाणियों को हस्तान्तरित करने के लपरान्त ही टीडीआर के अन्तर्गत प्रस्तानित निर्माण अनुमन्य होगा।

बोजना का विकास एवं निर्माण कार्य समयवद्ध एवं गुणवत्तापूवर्क पूर्ण करने हेतु विकासकर्ता द्वारा किय गर्भ इक्लपमन्ट एगीमेन्ट का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

8 योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित भवनों का प्लिन्थ तक निर्माण पूर्ण हो जाने पर स्थल का जी.पी.एस. कोआईनटस, तिथि एवं समय के साथ डिजिटल फोटोग्राफ्स प्राधिकरण में प्रस्तुत करने होंगे, जिसके साथ निर्धारित प्रारूप पर इस आशय का रूप रामप के राम्य कि मार्क पर फोटोग्राफ्स के अनुसार निर्माण किया गया है और यदि यह पाया जाता है कि रवीकृत मानचित्र से इतर निर्माण कार्य कराया गया है, जिसमें सैटवैक परिवर्तित हुए हैं, तो ऐसे निर्माण कार्य कराया गया है, दिये जाने में उन्हें कोई आपित नहीं होंगी तथा उसके लिए वह किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति का दावा नहीं करा।

9 योजना के समस्त आतरिक विकास कार्य विकासकर्ता द्वारा अपनी लागत पर खयं कियान्वित किये जाएँगे। 10 24 माह मे निर्माण पूर्ण न करने की रिथति में ई॰डब्लू॰एस॰ योजना की लागत की 0.1 प्रतिशत प्रतिदिन (अधिकतम 60 दिन तक) की दर से पेनल्टी देय होगी। 60 दिन की अवधि के पश्चात वैंक गारन्टी तथा वन्धक रखी गयी भूमि के

जब्दीकरण की कार्यवाही की जाएगी।

- 11 ईंडिब्लू-एस. भवनो का निर्माण शासनादेश सं.-1132/आठ-1-18-106 विविध/18 आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1, लखनऊ, दिनोंक 12.07.18 के माध्यम से निर्गन प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निजी क्षेत्र की सहभागिता से किफायती आवास योजना (वर्ष 2018–2021) के संलग्न-४ पर ई॰डब्लू॰एस॰ भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में दिये गये रपेशिफिकेशन्स अथवा शहरी विकास, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन एवं संसदीय कार्य मंत्री, भारत सरकार के F.No. BMT/CBM/ET/2014/17/6/14 में वर्णित 'उमरती' किफायती, आवास प्रोद्योगिकियों जो निम्नानुसार रिल्लिखित है, के अनुसार करना होगा -
 - Monolithic Concrete Construction System Using Plastic/Aluminium Formwork.
 - 2- Monolithic Concrete Construction System Using Aluminium Formwork.

3- Expanded Polystyrene Core Panel System.

- 4- Industrialized 3-S System Using Cellular Light Weight Concrete Slabs & Precast Columns.
- 5- Factory Made Fast Track Modular Building System- INSTACON.
- 6- Glass Fibre Reinforced Gypsum Panel System.

7- Advanced Building System EMMEDUE.

- 12 योजना के सम्बन्ध में समस्त विधिक एवं नियमानुसार वांछित अनापत्ति प्रमाण-पत्र तथा पर्यावरणीय स्टोकृति आदि विकासकर्ता द्वारा सक्षम प्राधिकारी से स्वयं प्राप्त किए जाऐंगे।
- 13. नियमानुसार रेरा में रजिस्ट्रेशन कराना होगा तथा रिथल एस्टेट (रेगुलेशन एण्ड डवलपमेन्ट एक्ट) 2016 तथा तदधीन वनाये गये नियमों का पालन करना होगा।
- 14. योजना का कियान्वयन रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में पंजीकरण की तिथि से प्रारम्भ करना अनिवार्य होगा तथा ई.डब्लू.एस. श्रेणी के भवनों का निर्माण (स्थल विकास सहित) 24 माह में पूर्ण करना होगा।
- 15. विकासकर्ता द्वारा योजना के विकास / निर्माण कार्य पूर्ण किये विना भूमि अथवा उसके किसी भू-भाग का हस्तान्तरण/सब-लीजिंग अनुमन्य नहीं होगी। उल्लंघन की दशा में विकासकर्ता को प्रदत्त समस्त रियायतें/इन्सेन्टिव वापस ले लिये जायेंगे।
- 16. कार्य योजना के अनुसार कलेक्शन, ट्रान्सपोर्टेशन व एम॰एस॰डब्लू॰ के डिस्पोजल हेत् रॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल, 2016 का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

17. निर्धारित मानकों के अनुसार एस.टी.पी. की स्थापना करनी होगी।

18. विकासकर्ता द्वारा विकसित योजन। की सेवाओं का नगर निगम को हस्तांतरण होने तक इनके रख-रखाव हेतु अनुबन्ध निष्पादित करना होगा योजनान्तर्गत निर्मित अपार्टमेन्ट्स में कॉमन सुविधाओं के रख-रखाव हेतू उन्प्रन अपार्टमेन्ट अधिनियमों के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करनी होगी।

ast he of

अविदक द्वारा प्रस्तुत समस्त शपथ—पत्रों में उल्लिखित समस्त शर्तों का अनुपालन अनिवार्य रूप से करना होगा।

19. अविदेक द्वारा प्रस्तुत समस्त रापथ-पत्रा में उल्लाखत समस्त राता का उत्राम्य 20. राजरव अभिलेखों में दर्ज एवं रथल के मध्य स्थित चकरोड/नाली/सरकारी भूमि के क्षेत्रफल के समतुल्य एकजाई की हुई स्वित अमिलखा में देव एयल के मध्य रिथत चकराड/नाला/ सरकारी भूमि पर विकास/निर्माण अनुमन्य

21 मतनों का उपयोग पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा।

22. भवन की स्ट्रक्चरल सेपटी एवं भूकम्परोधी होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं स्ट्रक्चरल डिजाईन व ड्रॉइंग आई.आई.टी रूडकी दिल्ली समतुल्य संस्थान से वैट कराकर प्रस्तुत किया गया है, तदनुसार ही स्थल पर भूकम्परोधी निर्माण स्ट्रिक्चरल इंजीनियर की देखरेख में कराना होगा। भूकम्परोधी व्यवस्था के सम्बन्ध में शासन के निर्गत आदेशों, संख्या 570/9-आ-1-2001- भूकम्परोधी/2001 (आ.ब)दिनाँक 03.02.01, 772/9-आ-1-2001- भूकम्परोधी /2001(आ.ब.) दिनोंक 13.02.01 तथा शासनादेश संख्या 3751/9-आ-1-1-भूकम्परोधी/2001(आ.ब) दिनोंक 20.07.01 में अंकित प्राविधानों एवं प्रतिबन्धों का पालन करना होगा। उक्त के अतिरिक्त निम्न पूरक प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करना

(क) भवन निर्माण के पर्यवेक्षण हेतु एक स्नातक सिविल अभियन्ता जिन्हें भवन निर्माण के कार्यों के पर्यवेक्षण में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो, अनुबन्धित किया जायेगा। पर्यवेक्षण में वह विशेष रुप से यह सुनिश्चित करेगा कि भवन निर्माण हेतु स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा संरचनात्मक सुरक्षा एवं भूकम्परोधी समस्त व्यवस्थायें करने के लिए जो डिजाईन

अनुमोदित की गयी है उसके अनुरुप ही भवन निर्माण किया जा रहा है।

(ख) भवन निर्माण में जो मुख्य सामग्रियों सीमेन्ट, स्टील / स्टोन ग्रिट, ईंटें, कोर्स सैन्ड एवं मार्टर तथा कंकरीट मिक्स इत्यादि जो उपयोग में लायी जायेगी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु कार्यस्थल पर ही उनके परीक्षण करने की सुविधा उपलब्ध रहनी आवश्यक होगी। इसके साथ ही निर्माण सामग्रियों की नियमित सैंम्पलिंग करके उनकी गुणवत्ता का भौतिक व रसायनिक परीक्षण अधिकृत प्रयोगशाला / संस्थाओं से कराकर उनके परीक्षण परिणाम कार्यस्थल पर ही उपलब्ध रहे ताकि जब भी कोई विशेषज्ञ स्थल पर कार्यों का निरीक्षण करने के लिए जाये तो इन परीक्षण परिणामों को भी देख सके। (ग) यदि स्वीकृति की किसी भी शर्त का पालन नहीं किया जाता अथवा निरीक्षणकर्ता तकनीकी विशेषज्ञ की रिपोर्ट संतोषजनक नहीं होगी तो आगे का निर्माण कार्य रुकवाते हुए निर्माण कार्य को अनाधिकृत मानते हुए सील भी किया जा सकेगा। ऐसे में न केवल पूर्णताः प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जायेगा वरन् निर्माणकर्ता व उसके सहायक किमिनल शिथिलता की परिधि में माने जायेंगे व तद्नुसार कानूनी कार्यवाही भी की जा सकेगी।

(घ) कार्यस्थल पर प्रमुख स्थान पर 4 फुट x 3 फुट आकार का एक बोर्ड लगाना होगा जिस पर भवन निर्माणकर्ता एवं स्वामियों का नाम, आर्किटैक्ट, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, सर्विस डिजाईन इंजीनियर एवं सुपरिवजन इंजीनियर का नाम इस प्रकार उल्लिखित होगा कि भवन से लगे मुख्य मार्ग से ही उस स्पष्ट पढ़ा जा सके। निर्माण कार्य से सम्बन्धित कार्य

रथल पर निम्न अभिलेख भी उपलब्ध रहेंगे :--

a) नियत प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र की हस्ताक्षर एवं मुहरयुक्त प्रति

b) अनुमोदित प्रयोगशाला / संस्थान द्वारा दी गयी मृदा परीक्षण की पूर्ण रिपोर्ट एवं प्रस्तावित नींव के प्राविधान सम्बन्धी

c) अधिकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा हस्ताक्षर एवं मुहर युंक्त नींव, सुपर स्ट्रक्चर की गणनायें एवं भवन को भूकम्परोधी बनाने हेतु संरचनात्मक सुरक्षा से सम्बन्धित समस्त मानचित्र एवं स्ट्रक्चरल डिटेल

d) अधिकृत आर्किटैक्ट द्वारा हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त समस्त वर्किंग ड्रांईंग जिनमें सैक्शन एवं एलीवेशन तथा सर्विसिज डिटेल इत्यादि शामिल रहेंगे


- e) भवन निर्माण हेतु आवश्यक समस्त टी. एन्ड पी. का विवरण
- f) साईट इंजीनियर इन्सपैक्शन रिर्पोट रजिस्टर
- g) सामग्री परीक्षण रिर्पोट एवं सम्बन्धित रजिस्टर

23. स्थल पर 50 वृक्ष प्रति हेक्टेयर की दर से रोपित करना होगा।

24. फायर विभाग इत्यादि द्वारा जारी एन.ओ.सी. का पालन करना होगा एवं फायर विभाग द्वारा पूर्णता सम्बन्धी एन.ओ.सी. प्राप्त करने पर ही पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।

25. रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था का प्राविधान भवन की फिनिशिंग का कार्य से पहले पूर्ण कराना होगा।

- 26. रोड वाइडेनिंग से प्रभावित भूमि में किसी भी प्रकार का निर्माण अनुमन्य न होगा तथा बाउन्ड्रीवाल रोड वाइडिनंग के
- 27. 10 प्रतिशत पार्क जन सामान्य हेतु खुला रखना होगा, जिसके नीचे बेसमेन्ट का निर्माण अनुमन्य एवं शमनीय नहीं होगा।
- 28. विकासकर्ता द्वारा प्रस्तृत सर्विस प्लान के अनुसार जिसमें इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं जैसे-सडक, सीवर, सीवर डिस्पोजल, डेन. ड्रेन डिस्पोजल, पीने के पानी की व्यवस्था इत्यादि का प्राविधान स्थल पर सुनिश्चित करना होगा।



- -29. भू-गर्भ जल उपयोग किये जाने पर सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति एवं विद्युत भार के लिए विद्युत विभाग से अनापिति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
 - 30. कूडा निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

31. विकलाग व्यक्तियों हेतु नियमानुसार रैम्प का निर्माण करना होगा।

32. विद्युत व्यवस्था हेतु उ०प्र० पावर कारपोरेशन से खयं कनैक्शन प्राप्त करना होगा।

33. नियमानुसार दर्शित पार्किंग स्थल पर ही पार्किंग करनी होगी, सडक पर पार्किंग अनुमन्य नहीं होगी। पार्किंग प्रतिशत visitors parking हेतु आरक्षित रखनी होगी।

34. अन्दर के खुले स्थल/पार्क का उपयोग उसी रूप में करना होगा, अन्य उपयोग की दशा में दी गयी रवीकृति समझी जायेगी।

35. मानचित्र स्वीकृति, भू—स्वामित्व को प्रभावित नहीं करेगी। भू—स्वामित्व सम्बन्धी वाद विवाद होने तथा सरकारी गृपि पाये जाने की स्थिति में पक्ष स्वयं जिम्मेदार होगा तथा दी गयी स्वीकृत स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

36. भविष्य में प्राधिकरण द्वारा यदि किसी शुल्क की मॉग की जाती है तो उसे पक्ष को जमा कराना होगा।

37. विभिन्न मदो में प्राधिकरण में जमा की जाने वाली धनराशि को जमा किये जाने का उत्तरदायित्व आवेदक का होगा। अन्यथा प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार की जाने वाली कार्यवाही को मानना होगा।

38. सुविधाओं का निर्माण आवश्यक रूप से करना होगा।

39. बेसमेन्ट में मैकेनिकल वेन्टीलेशन की व्यवस्था करनी होगी।

- 40. निर्माण के समय यदि कोई दुर्घटना, जान-माल की हानि होती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
- 41. अपार्टमेन्ट एक्ट 2010 का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा तथा मानचित्र निर्गत के एक माह के अन्दर घोषणा पत्र प्राधिकरण में प्रस्तुत करना होगा।
- 42. सडक के निर्माण के समय एलाइनमेन्ट परिवर्तन की दशा में विकासकर्ता को परिवर्तित एलाइनमेन्ट के अनुसार रोड वाइडेनिंग छोड़नी होगी तथा इस हेतु विकासकर्ता द्वारा किसी भी प्रकार का विवाद नहीं किया जायेगा तथा समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
- 43. मां० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में ओ.ए. संख्या 21/2014/ में अलग अलग तिथियों में पारित आदेशों के अनुपालन के क्रम में मुख्य सचिव कार्यालय उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक 1760/पी०एस०एम०एस० /2016 दिनाक 18.11. 2016 तथा विशेष सचिव, पर्यावरण विभाग, उ०प्र० शासन के पत्रांक संख्या 3595/नौ—5-206-29रिट/2014 दिनाक 08. 11.2016 से जारी निर्देशों के अनुपालनार्थ निर्माण प्रक्रिया से जनित वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु निम्न शर्तों का अनुपालन करना होगा
 - Every builder/owner shall put tarpaulin on scaffolding around the area of construction and the building. No person including builder, owner can be permitted to store any construction material particularly sand on any part of the street, roads in any colony.

The construction material of any kind that is stored in the site will be fully covered in all respects so that it does not disperse in the air in any form.

All the construction material and debris shall be carried in the trucks or other vehicles which are fully covered and protected so as
to ensure that the construction debris or the construction material does not get dispersed into the air or atmosphere, in any form
whatsoever.

4. The dust emissions from the construction site should be completely controlled and all precautions taken in that behalf.

 The vehicles carrying construction material and construction debris of any kind should be cleared before it is permitted to ply on the road after unloading of such material.

Every worker working on the construction site and involved in loading, unloading and carriage of construction material and construction debris shall be provided with mask to prevent inhalation of dust particles.

 Every owner and/or builder shall be under obligation to provide all medical help, investigation and treatment to the workers involved in the construction of building and carry of construction material and debris relatable to dust emission.

It shall be the responsibility of every builder to transport construction material and debris waste to construction site, dumping site
or any other place in accordance with rules and in terms of this order.

 All builders/owners should take appropriate measures and strictly comply with by fixing sprinklers and creations of geen air barriers on construction site. Compulsory use of wet-jet in grinding and stone cutting.

Wind breaking walls around construction site.

 All builders shall ensure that C&D waste is transported and disposed to the C&D waste site only and due record in that behalf shall be maintained by the builders and transporters.

12. Use of covering sheets should be done for trucks to prevent dust dispersion from the trucks, implemented by district offices.

13. Proponent shall ensure that periodical auto maintenance report from the contractor to avoid vehicular pollution.

Proponent should manage transportation route for vehicles in a well-planned manner to avoid traffic havoes.

15. The entry and exit points design is very important as it should not disturb the existing traffic.

16. Inspection & Maintenance has definite utility on emission performance, Regular vehicle inspection to be done by the contractor to enhance the efficiency of work and to reduce the risk of unwarranted air pollution.

17. Fitness certification is a statutory requirement for commercial vehicles and public transport vehicles. Periodicity for certification is once in a Year.

- 18. Pollistion Under Control (PLC) certificates are required to be obtained every three months for all categories of vehicles. In case of talle of vehicles, free acceleration smoke is measured.
 10. Life of vehicles should be inspected to avoid higher as well.
- tile of volucie should be inspected to avoid further in pollution
- Overloading is another big challenge and the shall be dealt by the proponent as well as State Authorities by installing check booth at ours points.

 A table emission control technologies exist to a few and the proponent as well as State Authorities by installing check booth as a state Authorities by installing check booth.
- 21 A table consiston control technologies exist to reduce diesel exhaust emissions designed to control particulate matter (PM) should be usualled used such as Diesel oxidation catalysis (DOCs). Diesel particulate files control particulate matter (PM) should be selective catalytic reduction (SCR). Lean New metals (DOCs). Diesel particulate files control particulate matter (PM) should be installed used such as Diesel oxidation catalysts (DOCs). Diesel particulate filters (Dopped to cound particulate matter (FGR), Selective catalysts exclusion (SCR), I can Nov catalysts (FOR). I can Nov taus (FOR), I can Selective catalytic reduction (SCR), I can Nov catalysts (I Nest, I can NOv traps (I NIs). · Green belt creation will also act as a mitigating factor
- रुक्त शतों के उल्लंधन की दशा में एन जी. दी. द्वीरा पारित आदेश दिनांक 20.07 16 में उल्लेखित धनराशि पेनल्टी के में उसूल की जायेगी। रूप मे नसूल की जायेगी।
- ्य नियमानुसार रूफटोप सीलर फोटोवोल्टाइक पोवर प्लंब की स्थापना भवन के क्सी श्रेत्रफल के न्यूनतम 25 प्रतिशत रूफटोप एरिया पर अनिवार्य रूप से करनी क्षेमी। क्षारीप एरिया पर अनिवारी कप रो करनी होता।
- 45 रहाल पर निर्माण के समग्र लेबर हेतु जन सुविधाओं का प्राविधान करना होगा।
- 4ह पर्यावरण विभाग से पर्यावरणीय विलयरेन्स(ई०सी०) निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- 47 अवशेष लेबर सेस विकासकती को स्वय श्रम विभाग में जमा कराना होगा।
- 48. अवशेष बकाया धनराशि रू. : 34.78.935.00 को छमाही 3 किश्तों में 12.00 प्रतिशत वार्षिक व्याज की दर से निम्नानुसार वेय होगी

केश्त सं.	देथ तिथि	किश्त की धनराशि	ब्याज (12%)	कुल देय किश्त
1	28.11 2021	₹5, 61,59,651.00	₹5. 11,08,737.00	72,68,388.00
2	28.05.2022	₹n. 61,59,643.00	% 7,39,158.00	\$5, 68,98,801.00
3	28.11.2022	₹ 61,59,643.00	₹ 3,69,579.00	₹5. 65,29,222.00

निधारित तिथि पर किश्त का भुगतान न करने पर नियमानुसार 15% दण्ड ब्याज भी देश होगा।

नगर नियोजक

मुख्य नगर नियोजक



0

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

पत्र संख्या 🛵 🔎 रे

मै. आराध्यम बिल्डर्स मै. मॉर्गे राम भट्टा एण्ड कम्पनी, खसरा न.–988 एवं 989, एन.एच.–58 मेरठ रोड, गाजियाबाद।

विषयः खसरा सं. 358मि., 462मि., 493मि., 494मि., 332, 337, 338, 339, 291मि., 290मि. एवं 294मि. ग्राम पसौन्डा, गाजियाबाद पर प्रधानमंत्री आवास योजना (पी.एम.ए.वाई.) के अन्तर्गत स्वीकृत ग्रुप हाउसिंग मानचित्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (पी॰एम॰ए॰वाई॰) के अन्तर्गत "आराध्यम" के नाम से आपकी परियोजना का मानचित्र स्वीकृति उपरान्त दिनाँक 31.08.2021 को निर्गत किया जा चुका है, परन्तु आप द्वारा अभी तक स्थल पर कार्य प्रारम्भ कर अधोहरताक्षरी कार्यालय को अवगत नहीं कराया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार एवं राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली समयबद्ध योजना है, जिसकी समीक्षा शासन स्तर पर निरन्तर की जाती है। इस हेतु पूर्व में भी कार्यालय के पत्रांक-4076/मा॰प्लान अनु॰/21 दिनाँक 08.10.2021 एवं पत्र सं॰-4243/मा॰प्लान अनु॰/22 दिनाँक 23.03.2022 के माध्यम से आपको अवगत कराया गया था। कार्य प्रारम्भ न होने की दशा में शासन द्वारा यदि कोई प्रतिकृल संज्ञान लिया जाता है तो उसका समस्त उत्तरदायित्व आप स्वयं का होगा।

अतः आप अविलम्ब कार्य प्रारम्भ कर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें, जिससे उक्त परियोजना की अद्यतन स्थिति से शासन को अवगत कराया जा सके।

> अपर सचिव गाजियाबाद विकास प्राधिकरण